न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, थानागाजी, अलवर

उनवान ..... मु० नं० .....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13/11/18	[illegible] 7/2/19	
7/2/19	पत्रावली पेशकर्ता पक्षकार पार्टी आवेदन पत्र आधार रद्दीकरण पेश किया गया। व पक्षकार द्वारा लिखित दिया गया कि एक पक्षकार के आपसी समझौता हो गया है। पार्टी का पक्ष के आगे कोई कार्यवाही नहीं चलाना है। पत्रावली के आ पत्र रद्दीकरण शामिल किया गया। व पक्षकारान को सुना गया। तथा पक्षकार ने कहा कि मैं आ. पत्र के आगे कोई कार्यवाही नहीं चलाता हूं। अतः आ. पत्र पार्टी ने पेश करने के आधार पर आ. पत्र खारिज किया जाता है। निकल फैसल शुमार होकर नम्बर के फाइली जाकर बाद तामील दाखिल दफ्तर हो।	

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

Scanned by CamScanner